भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 587

गुरूवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक)

ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन

587. श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असंगठित श्रमिकों के लिए ई-श्रम-वन स्टॉप सॉल्यूशन (ओएसएस) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) ई-श्रम-ओएसएस असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तक पहुँचने में किस सीमा तक मदद करता है;

(ग) आंध्र प्रदेश में असंगठित श्रमिकों की जिले-वार संख्या कितनी है; और

(घ) आंध्र प्रदेश से पंजीकृत उन असंगठित श्रमिकों की संख्या कितनी है जिन्होंने अगस्त, 2021 में शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत नामांकन करवाया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार के साथ जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने हेतु दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) आरंभ किया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनकी सहायता करना है।

दिनांक 17 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 30.94 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य के 85.86 लाख से अधिक असंगठित कामगार शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने हेतु ई-श्रम को "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के रूप में विकसित करने के संबंध में बजट घोषणा, वर्ष 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप- सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम - "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को ई-श्रम के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाने और अब तक उठाए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

जारी.. 2/-

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 14 योजनाएं लाभ पहुँचाने और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच प्रदान करने के लिए ई-श्रम के साथ पहले ही एकीकृत/मैप की जा चुकी हैं, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस), एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) शामिल हैं।

*

अनुबंध

"ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन" के संबंध में दिनांक 24.07.2025 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 587 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 17.07.2025 तक आंध्र प्रदेश में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का जिलेवार ब्यौरा:

क्र.सं	**जिला**	**कुल पंजीकरण**
1	अल्लूरी सीताराम राजू	61,253
2	अनकपल्ली	64,880
3	अनंतपुरमु	7,23,760
4	अन्नमय्या	1,03,596
5	बापटला	1,65,681
6	चित्तूर	4,63,626
7	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा	1,40,193
8	पूर्वी गोदावरी	7,42,969
9	एलुरु	1,29,017
10	गुंटूर	6,62,928
11	काकीनाड़ा	1,29,310
12	कृष्णा	6,76,543
13	कुरनूल	5,58,411
14	नंदयाल	1,00,829
15	एनटीआर	54,213
16	पालनाडु	1,10,334
17	पार्वतीपुरम मान्यम	56,457
18	प्रकाशम	4,17,901
19	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	4,72,066
20	श्री सत्य साई	63,338
21	श्रीकाकुलम	5,25,842
22	तिरुपति	70,326
23	विशाखापट्टनम	6,00,785
24	विजयनगरम	4,22,824
25	पश्चिम गोदावरी	6,95,490
26	वाई.एस.आर.	3,73,926
	कुल योग	**85,86,498**

******